



संदर्भ: आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/51/03/2022 दिनांक: 24 मार्च 2022

REF: IRDAI/F&I/CIR/INV/51/03/2022

Date: 24th March, 2022

परिपत्र

CIRCULAR

“अनुमोदित निवेश” के अंतर्गत इक्विटी निवेश के लिए लाभांश मानदण्ड

Dividend Criteria for Equity Investment under “Approved Investment”

उपर्युक्त विषय पर परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/255/09/2021 दिनांक 27 सितंबर 2021 के अनुक्रम में, प्राधिकरण आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 14(2) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा बीमाकर्ताओं को “अनुमोदित निवेश” के भाग के रूप में अधिमान शेयरों और इक्विटी शेयरों में निवेशों का वर्गीकरण करने की अनुमति 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक की अवधि के लिए देता है यदि ऐसे शेयरों पर लाभांश का भुगतान “तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम 2 निरंतर वर्षों के लिए” (जैसा कि आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 3(क)(4) और 3(क)(5) के अंतर्गत अपेक्षित है) के बदले “तत्काल पूर्ववर्ती 3 निरंतर वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों के लिए” किया जाता है।

In continuation to circular no: IRDAI/F&I/CIR/INV/255/09/2021 Dt. 27th Sep, 2021 on the subject, the Authority in exercise of its powers conferred under Regulation 14(2) of the IRDAI (Investments) Regulations, 2016, hereby permits Insurers to classify investments in Preference Shares and Equity Shares as part of “Approved Investment” if dividend is paid on such Shares “for at least 2 years out of 3 consecutive years immediately preceding” instead of “for at least 2 consecutive years immediately preceding” (as required under Regulation 3(a)(4) and 3(a)(5) of IRDAI (Investment) Regulations, 2016) for the period from 1st April, 2022 to 30th September, 2022.

हस्ता. / Sd/

(एम एस जयकुमार / M S Jayakumar)

महाप्रबंधक – निवेश / GM-Investments